ई–मेल

14

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/भू.अ./एल.आर.सी./प–88/06/पार्ट/6471–6743 दिनांक 13-4-06

1– जिला कलेक्टर (भू.अ.), समस्त राजस्थान ।
2– तहसीलदार, समस्त राजस्थान ।

विषय :– साईबर कैफे के माध्यम से जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति जारी करने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत, मण्डल द्वारा जमाबन्दी की प्रतियां साईबर कैफे के माध्यम से जारी करने हेतु राजस्व मण्डल से साईबर कैफे के लाईसेन्स जारी किये है । लाईसेन्स की शर्त– 2 के अनुसार ***"यदि किसी व्यक्ति को जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति की आवश्यकता है तो वह साईबर कैफे द्वारा जारी प्रतिलिपि को संबंधित राजस्व पटवारी से निर्धारित फीस अदाकर प्रमाणित करवा सकेगा । यह प्रमाणीकरण पटवारी द्वारा अपने स्वयं के पास उपलब्ध जमाबन्दी के आधार पर किया जावेगा ।"***

अतः निर्देशानुसार निवेदन है कि इसकी जानकारी समस्त पटवारियों को भी उपलब्ध करा दी जावे ताकि वे निर्धारित शुल्क प्राप्त कर उसे भी प्रमाणित कर सके ।

भवदीय,

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांक: सम/6744–6746 दिनांक 13-4-06
प्रतिलिपि :–

1 निजि सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
2 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी कमरा नम्बर 318 उत्तर पश्चिम खण्ड सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि समस्त साईबर कैफे धारकों को सूचित करावें ।
3 ए.सी.पी., राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर लेख है कि मण्डल द्वारा जारी लाईसेन्स धारकों की सूची एवं लाईसेन्स का प्रारूप जिला कलेक्टरों को ई–मेल द्वारा भिजवाने का श्रम करें ।

उप–निबन्धक (भू.अ.),
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर